



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2447/सत्रह-वि-1-1 (क) 32-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2001)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाना है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 कहा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में,—

(क) “आयोग” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से है ;

(ख) “सदस्य” का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है ;

(ग) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों” का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है ;

(घ) “महिला” में बालिका या किशोरी सम्मिलित है।

अध्याय—दो

राज्य महिला आयोग

आयोग का गठन

3-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कहा जायगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे :-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिये समर्पित ऐसी कोई महिला होगी, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट सात सदस्य, जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो ;

परन्तु निम्नलिखित में से क्रमशः प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा :-

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों ;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों ;

(तीन) अल्पसंख्यकों ;

(चार) अधिवक्ताओं ;

(पांच) पुलिस अधिकारियों, जो पुलिस अधीक्षक से निम्न श्रेणी के न हो ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

पदावधि और सेवा की शर्तें

4-(1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु सदस्य सचिव या सदस्य जो पुलिस अधिकारी हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है ;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया और कारावास से दण्डित किया जाता है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अघमता अंतर्गस्त है ;

(ग) विकृत चित का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है ;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकर हो गया है, या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना, अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है ;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

5-(1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

6-अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा।

7-आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी।

8-(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय-तीन

आयोग के कृत्य

9-(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना ;

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना ;

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना, जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके ;

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

वेतन और भत्तों का अनुदान से दिया जाना

रिक्तियाँ आदि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया

आयोग के कृत्य

(ड) महिलाओं से संबंधित संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

(च) निम्नलिखित मामलों से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका संज्ञान लेना :-

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन ;

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन ;

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नीतिगत विनिश्चयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे मामलों से उद्भूत विवादों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके ;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे आवास और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबारूपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकेतों को कम करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता ;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना ;

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी/कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना ;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना ;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिपोर्ट देना ;

(ढ) ऐसी परिस्थितियों की, जिनमें महिलाएं फैक्ट्रियों, प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों या किन्हीं अन्य स्थानों में काम करती हों, जांच करना और उनके काम की दशाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार को संस्तुति देना ;

(ण) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से, जिसमें विवाह, दहेज, बलात्संग, व्यपहरण, अपहरण, छेड़-छाड़ और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित अपराध भी शामिल हैं और प्रसव कराने या नसबंदी या प्रसव या शिशुजन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, संबंधित सूचनाओं का संकलन करना ;

(त) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके।

(थ) अपने कृत्यों के पालन में धारा-17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता लेना ;

(द) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवाएगी।

10-किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी, अर्थात् :-

आयोग की शक्तियां

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय-चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

11-(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है, और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

12-(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी।

13-आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

14-राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

15-आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

16-राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श कर सकती है।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

स्वैच्छिक संगठनों
का रजिस्ट्रीकरण

17—(1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा।

(2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा।

(3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा, यदि ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसा अपेक्षित हो।

(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

सदभावपूर्वक की
गई कार्यवाही का
संरक्षण

18—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की
शक्ति

19—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियमों में इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय ;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा ;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी ;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति

20—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और
अपवाद

21—(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यादेश, 2001 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी: उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

महिलाओं की, जो जनसंख्या की लगभग आधी हैं, असमान प्रतिष्ठा और उनके साथ अनुचित व्यवहार बड़े चिन्ता का विषय है। राज्य सरकार जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण और उत्थान को अत्यधिक महत्व देती है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि महिलाओं को दिये गये संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों से सम्बन्धित मामलों का अनुश्रवण करने और उनके प्रभावी उपचारी उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट और सुझाव देने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2001 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2447 (2)XVII-V-1—1 (KA) 32-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN ACT, 2001

(U.P. Act No. 34 of 2001)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to establish a State Commission for Women and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty second Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER—I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2001. Short title, extent and commencement

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Act,—

Definitions

(a) "Commission" means the Uttar Pradesh State Commission for Women constituted under section 3 ;

(b) "Member" means a member of the Commission ;

(c) "Other Backward Classes of citizens" means such classes of citizens as are defined in clause (b) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 ;

(d) "Women" includes female, child or adolescent girl.

CHAPTER—II

THE STATE COMMISSION FOR WOMEN

Constitution of the
Commission

3. (1) The State Government shall, by notification, constitute a body to be known as the Uttar Pradesh State Commission for Women to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Commission shall consist of —

(a) Chairperson who shall be a Woman possessing a Degree of a University established by law in India or a qualification recognised as equivalent thereto and committed to the cause of women, nominated by the State Government ;

(b) Seven members nominated by the State Government from amongst the women possessing a Degree of a University established by law in India or a qualification recognised as equivalent thereto and who have worked for the upliftment and welfare of women :

Provided that, atleast one Member each shall be from amongst—

(i) Scheduled Castes or Scheduled Tribes ;

(ii) Other Backward Classes of citizens ;

(iii) Minorities

(iv) Advocates ; and

(v) Police officers not below the rank of Superintendent of police ;

(c) A Member-Secretary, to be nominated by the State Government who shall be a women officer, not below the rank of Special Secretary to the State Government, who is a member of a Civil Service of the State or of an All India Service or holds a civil post under the State with appropriate experience.

Term of office and
conditions of
service

4. (1) The Chairperson or every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office :

Provided that the Member Secretary or the Member, who is the police officer, shall hold office during the pleasure of the State Government :

Provided further that no Chairperson or other Member shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) The Chairperson or a Member other than the Member-Secretary may, by writing under his hand and addressed to the State Government, resign from the office of the Chairperson or, as the case may be, of the Member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of Chairperson or a Member if that person.

(a) becomes an undischarged insolvent ;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment ; for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude ;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court ;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting ;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absents from three consecutive meetings of the Commission ; or

(f) in the opinion of the State Government, has so abused the position of the Chairperson or Member as to render that person continuance in office detrimental to the public interest or is otherwise unfit or unsuitable to continue as such Chairperson or Member :

Provided that, no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries, and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

5. (1) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

Officers and other
Employees of
Commission

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of, the Member-Secretary, the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the Member-Secretary, the officers and employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 11

Salaries and
allowances to be
paid out of grants

7. No act or proceedings of the Commission shall be questioned or shall be invalid on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Vacancies, etc.,
not to invalidate
proceedings of
Commission

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary and at such time and place, as the Chairperson may think fit.

Procedure to be
regulated by
Commission

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Member Secretary in this behalf.

CHAPTER—III

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely :—

Functions of the
Commission

(a) investigate and examine all matters relating to the safeguards provided for women under the Constitution and other laws ;

(b) present to the State Government, annually and at such other times, as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards ;

(c) make in such reports recommendations for the effective implementation of those safeguards for improving the conditions of women by the State ;

(d) review, from time to time, the existing provisions of the Constitution and other laws effecting women and recommend amendments thereto so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacunae, inadequacies or shortcomings in such legislations ;

(e) take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws relating to women with the appropriate authorities ;

(f) look into specific complaints and take *suo moto* notice of matters relating to,—

(i) deprivation of women's rights ;

(ii) non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve the objective of equality and development ;

(iii) non-compliance of policies decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women,

And to take up the issues arising out of such matters with the appropriate authorities ;

(g) cause special studies or investigations to be undertaken into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify the constraints so as to recommend strategies for their removal ;

(h) undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres and identify factors responsible for impeding their advancement, such as, lack of access to housing and basic services, inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their productivity ;

(i) participate and advise on the planning process of socio-economic development of women ;

(j) -evaluate the progress of the development of women under the State ;

(k) inspect or cause to be inspected a jail, remand home, women's institutions or other places of custody where women are kept as prisoners or otherwise, and take up with the concerned authorities for remedial action, if found necessary ;

(l) fund litigation involving issues affecting a large body of women or the interpretation of any provision of the Constitution or any other laws effecting women ;

(m) make periodical or special reports to the State Government on any matter pertaining to women and, in particular, various difficulties under which women toil ;

(n) examine the conditions in which women work in factories, establishments, construction site or other places and make recommendations to the State Government for improving their working conditions ;

(o) compile information regarding offences against women including offences relating to marriage, dowry, rape, kidnapping, abduction, eve-teasing and immoral trafficking in women and cases of medical negligence in causing delivery or sterilisation or medical intervention in regard to child bearing or child birth, in the State as a whole or in any particular area in the State ;

(p) coordinate with the State police cell and divisional police cells created for dealing with the cases relating to atrocities against women and mobilise public opinion in the State as a whole or in any particular area in the State so as to help speedy reporting or detection or offences of such atrocities and to make atmosphere-against the offender ;

(g) seek assistance of any voluntary organisation registered under section 17, in discharge of its functions ;

(r) any other matter which may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before each house of the State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

10. The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or sub-clause (i) and (ii) of clause (f) of sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit, and in particular, in respect of the following matters, namely :—

Powers of the Commission

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any document ;

(c) receiving evidence on affidavits ;

(d) requisitioning any public record of copy thereof from any court or office ;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents ; and

(f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER—IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

11. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

Grants by the State such Government

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of grants referred to in sub-section (1).

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statements of accounts in such form as may be prescribed.

Accounts and Audit

(2) A copy of the annual statement of accounts shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

13. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed, giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual Report

14. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations, and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received, before each House of the State Legislature.

Annual and other reports and audit report to be laid before State Legislature

CHAPTER—V

MISCELLANEOUS

15. The Chairperson, the Members, the Member-Secretary, Officers and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section-21 of the Indian Penal Code, 1860.

Chairperson Members and Staff of Commission to be public servants

16. The State Government may consult the Commission on major policy matters affecting women.

State Government to consult Commission

Registration of
Voluntary
Organisation

17. (1) Any voluntary organisation engaged in the welfare of women, who desires to assist the Commission in performance of its functions, may apply to the Commission in the prescribed manner for registration.

(2) The Commission, may, after satisfying itself regarding value, role and utility of such organisation in the society, register such organisation in such form and in such manner as may be prescribed.

(3) The Commission shall make available to a court, authority or person a list of organisations registered under this section if so required by such court, authority or person.

(4) The Commission may, for reason to be recorded in writing, cancel registration of any such organisation after giving the organisation a reasonable opportunity of hearing.

(5) A decision of the Commission under sub-section (4) shall be final.

Protection of
action taken in
good faith

18. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to make
rules

19. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Such rules may provide for charging of fees for any of the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) Salaries, and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (5) of section 4 and the Member-Secretary, the officers and other employees under sub-section (2) of section 5 ;

(b) any other matter under clause (f) of section 10 ;

(c) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of section 12 ;

(d) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 13 ;

(e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Power to remove
difficulty

20. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this the State Government may, by a notified order, make such provisions, not in consistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and
savings

21. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Women Ordinance, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P.
Ordinance
no. 17 of
2001

By order,
Y.R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The unequal status and unfair treatment of women who constitute nearly half of the population, is a matter of great concern. The State Government attaches much significance to their welfare, safety, protection and advancement in all walks of life and to ensure upliftment of their status in the society, it was decided to establish an independent commission to monitor matters relating to constitutional and legal safe guards provided to women and report and suggest to the State Government effective remedial measures.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Women Ordinance, 2001 (U.P. Ordinance no. 17 of 2001) was promulgated by the Governor on August 16, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.